

21/8/23 पत्रावली वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल
के साथ विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिफ़ी
क्रिये जाने का पेश होने पर तलब छोकर पेश हुई।
वकील एग्रीवतीगण भी उपर। आये। एवं न्यायिक मशीन
पेशी क्रिये जाने पर स्टाबलि जलार्ड। अतः पत्रावली एवं
से मिलने पेशी स्ट्रॉक 24/8/2023 के स्थान पर
दिनांक 03/8/23 मिसल की जाती है।
MWA

03/08/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी
ने कथन किया कि पेश दावा मुख्य रूप से वंटवारे का है
प्राथमिक डिफ़ी की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा
विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा
चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. किया
जावे। वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा
फाईनल डिफ़ी क्रिये जाने पर सहमति दी। वकुलाय को सुनने
एवं वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन
प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाजन प्रस्ताव
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं राजस्थान काश्तकारी
(राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक
राम/न्याय/स्था/प.-51/2008/विधिध/10546 दिनांक 05.
10.2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार खातेदारन/पक्षकारान की
उपस्थिति में तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है।
विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के हस्ताक्षर एवं अंगूठा: निशानी
भी है एवं वकुलाय उभय भी विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।
अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से
डिफ़ी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण
मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/
भू.अ./2023/3098 दिनांक 28.07.2023 द्वारा प्रस्तावितानुसार
अन्तिम रूप से डिफ़ी किया जाता है तथा वादीगण व
प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक का विज
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव
मय नदशा डिफ़ी का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरमद हेतु पर्चा डिफ़ी मुर्तीव हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नदर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Handwritten signature

Handwritten signature



राजवीर सिंह यादव
उप-न्यायालय अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)